उपायुक्त का न्यायालय, रामगढ़।

आदेश पत्रक

भू–हदबन्दी अपील वाद संख्या – 03/2015

श्रीमति मंजु देवी वगै0 बनाम महेश साव

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख

13-06-2018

–: आदेश :–

अभिलेख उपस्थापित। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू–हदबन्दी वाद संख्या–03/2011–12 महेश साव बनाम श्रीमति मंजु देवी एवं अन्य में दिनांक 29.09.2012 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी श्रीमति मंजु देवी पति–बिगन साव स्वर्णकार वो शत्रुधन प्रसाद पिता– स्व0 मेवालाल साव दोनो का निवास ग्राम– सुकरीगढ़ा बमनी, पो0–लारी, थाना– रजरप्पा, जिला– रामगढ़ द्वारा बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1961 की धारा 30(1)(A) के तहत् अपील दायर किया गया है। इस वाद में विपक्षी महेश साव पिता–जगदीश साव निवास ग्राम– सुकरीगढ़ा बमनी, पो0–लारी, थाना– रजरप्पा, जिला– रामगढ को बनाया गया है। विवादग्रस्त भूमि की विवरणी निम्नवत है :–

मौजा	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
सुकरीगढ़ा बमनी	18	1542	0.08 ½ एकड़

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वादग्रस्त भूमि का वर्त्तमान स्वरूप कृषि योग्य नही है, बल्कि प्रकृति एवं स्वरूप बदल चुका है तथा प्रश्नगत खाता से संबंधित भूमि का बिक्री बहुत से लोगो के पास किया गया है, जो मकान बनाकर रह रहें है, ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसंगत नहीं है। इन्होने निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि के सह–हिस्सेदार अरिया रैयत है। निबंधित केवाला के माध्यम से बिक्री गई है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसंगत है। इन्होने अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना। निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख एवं समर्पित कागजातों का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि सर्वे खतियान में किस्म धनखेत दर्ज है, परन्तु कई अन्य लोगो के पास प्रश्नगत खाता से संबंधित भूमि का हस्तानान्तरण किया गया है, हस्तानान्तरण वास्तविक खतियानी रैयत/जमाबन्दी रैयत के वंशजों द्वारा विधिवत किया गया है या नहीं संदिग्ध प्रतीत होता है। साथ ही भूमि का वास्तविक स्वरूप को वर्त्तमान में परिवर्तित स्वरूप में विधिवत प्रक्रिया अपनाई गई है या नहीं के संबंध में उभय पक्षों के द्वारा न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार का दावा/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः उक्त परिपेक्ष्य में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उपर्युक्त बिन्दुओं के आलोक में नये सिरे से पुनः विधिवत सुनवाई कर आदेश पारित करने हेतु यह वाद प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है। इसी मंतव्य के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

13/6/18

उपायुक्त,
रामगढ़।

13/6/18

उपायुक्त,
रामगढ़।